भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY & PUBLIC ENTERPRISES
भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

अति तत्काल
स्पीड पोस्ट के द्वारा

उद्योग भवन Udyog Bhavan
नई दिल्ली New Delhi-110011

संख्या 41(15)/एनएबी/एफएएमई/ओईएम्स/2017 **दिनांक 25 अक्तूबर, 2018**

आदेश

विषयः- फेम इंडिया स्कीम के अन्तर्गत ओईएम और नए मॉडलों के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश के संबंध में।

इस कार्यालय के दिनांक 21 अगस्त, 2018 के समसंख्यक आदेश को निरस्त करते हुए, सभी संबंधितों को इसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय सूचित किया जाता है कि इसके बाद से फेम-इंडिया स्कीम के चरण-1 की बढ़ायी गयी अवधि अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के दौरान परम्परागत बैटरी वाहनों और सभी अपंजीकृत वाहनों के अलावा, नए ओईएम मॉडलों के पंजीकरण की अनुमति है। तथापि, ऐसे सभी ओइएम को ओईएम और वाहन मॉडलों के पंजीकरण हेतु दिनांक 27 अप्रैल, 2015 और 20 जुलाई, 2015 के पत्र सं. एफ. 21 (37) एनएबी/डीआईडीएम/2014 के द्वारा पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी सामान्य प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सिर्फ वांछित ब्यौरे/दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। इन आदेशों की प्रतियां विभाग की वेबसाइट अर्थात https://dhi.nic.in और फेम-इंडिया की वेबसाइट अर्थात Fame.india.gov.in पर उपलब्ध है। अधुरे आवेदनों को संबंधित ओईएम को बिना किसी सूचना के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ओईएम को ओईएम और वाहन मॉडलों के पंजीकरण हेतु अपने आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है:

1. अनुलग्नक- 1 में विनिर्माता पंजीकरण के लिए आवेदन;
2. कम्पनी पंजीकरण प्रमाण पत्र;
3. व्यापार लाइसेंस;
4. उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाण पत्र (जीएसटी);
5. बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), पंजीकरण प्रमाण पत्र (जीएसटी;)
6. पैन कार्ड
7. टीआईएन संख्या
8. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र (जीएसटी;)
9. वाहनों के प्रत्येक मॉडलों के लिए अलग-अलग वीपीक्यूसी और फेम-इंडिया दिशानिर्देशों के अनुसार नामित परीक्षण केन्द्र द्वारा जारी परीक्षण/स्वीकृति प्रमाण पत्र;
10. अनुलग्नक -2 के अनुसार एक्सईवी मॉडल का पूर्व - पंजीकरण
11. ओईएम का एमओए एवं नियम;
12. दुपहिया एवं तिपहिया विद्युत वाहनों के लिए एसएमईवी का संस्तुति पत्र ; एवं
13. वाहनों की तस्वीरें

2. उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

25-10

(रमाकांत सिंह)
निदेशक (ऑटो/एनएबी)
टेलीफैक्स - 011-23061862

वितरणः

1. महानिदेशक (एसआईएएम), कोर 4वीं, 5वीं, मंजिल, इंडिया हैबिटैट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 ;
2. निदेशक, एसईवी, 50, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट - III , नई दिल्ली - 110020;
3. भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी (भारी उद्योग विभाग); एवं
4. फेम-इंडिया स्कीम की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए मेसर्स नेट क्रिएटिव माइंड सलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।